

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प-2113/पपा/2000

जयपुर, दिनांक :- 29-7-2003

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राज०, जयपुर ।

विषय :- चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, तीकर, जयपुर, जोधपुर,
हनुमानगढ़, बीदी, बारा, झालावाड़, अलवर जिलों
में निजी क्षेत्र के पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय
स्थापित किये जाने बाबत ।

महोदय,

आपके द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करने के
पश्चात् निम्नांकित तंत्रिकाओं को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर निजी
क्षेत्र में पशुधन तहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति एतद्
द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं. तंत्रिका का नाम

स्थान एवं जिला जहाँ
पशुधन तहायक प्रशिक्षण
विद्यालय स्थापित किया
जावेगा ।

1.	2.	3.
1.	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, तंत्रिका-ताटुलपुर ।चुरू	ताटुलपुर ।चुरू।
2.	जे.आर.टाँटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, टाँटिया हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर ।श्रीगंगानगर।
3.	श्री महाजनी विद्यालय समिति, बीकानेर	नाल ।बीकानेर।
4.	शेखावाटी एजुकेशन एंड तोरणल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नवलगढ़ रोड़, तीकर	तीकर ।तीकर।
5.	ज्योतिबा फूले तोरणल वेलफेयर सोसायटी, अजमेर रोड़, जयपुर ।	चौमू ।जयपुर ।
6.	सिम्रम एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर	जोबनेर ।जयपुर।
7.	श्री लालबहादूर शास्त्री गोध एवं प्रशिक्षण तंत्रिकान, जोधपुर	जोधपुर ।जोधपुर।
8.	हरद्वार बालक भाई पटेल शिक्षण तंत्रिकान, भादरा, हनुमानगढ़ ।	भादरा ।हनुमानगढ़।
9.	सुहित जनकल्याण समिति, विज्ञान नगर, कोटा ।	बीदी ।बीदी।

1.	2.	3.
10.	सहारा शिक्षा समिति, विज्ञान नगर, कोटा	बारा। बारा।
11.	तैल्य सेवा समिति, झालावाड़	झालावाड़। झालावाड़।
12.	'लिट्टी' मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, जयपुर।	जयपुर। जयपुर।
13.	सती जावड़े पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, भिमानी। हरियाणा।	जनकपुरा निगराना। अलवर।
14.	महात्मा ज्योतिरावफुले शिक्षण संस्थान, न्यू तांगानेर रोड, जयपुर।	जयपुर। जयपुर।
15.	गरीब नवाज सेवा समिति, अलवर	शाहपुरा। जयपुर।
16.	एलाइन्ड शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तीकर।	तीकर। तीकर।
17.	सुरेन्द्र बाल भारती समिति, जयपुर	जयपुर। जयपुर।
✓ 18.	मनोहर बाल मन्दिर समिति, 5-डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।	श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर।

उपरोक्त संस्थाओं को राज्य सरकार/ निदेशक, पशुमालन विभाग, द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों की पालना के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

1. संस्था- निदेशक, पशुमालन विभाग। निदेशालय। एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तकनीकी संस्थाधर्मों से अपने संस्थान को तत्र प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक रूप से तृप्तजित करेंगी। मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी। फिर भी ऐसा कोई निष्पक्ष लिये जाने से पूर्व निदेशक, पशुमालन विभाग, संस्थान को अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान करेंगे।

2. छात्रों/छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणालि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता नियमों के अनुसार होगी। इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

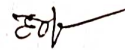
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी संस्थाओं के संबंध में दिये गये निष्पक्ष अनुसार प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण किया जावेगा।

4. संस्था को किसी भी प्रकार का अनुदान/अंशदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जावेगा।

5. संस्था और प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए संस्था जिम्मेदार होगी।

- 161 राज्य सरकार/ निदेशक, पशुमालन विभाग, राज. जयपुर अध्या उनके द्वारा निर्मित व्यक्ति संस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेंगे ।
- 171 निरीक्षण प्रतिवेदन में संस्था के संबंध में उठाये गये धिन्दुओं/कमियों की पालना पूर्ति संस्था द्वारा तात दिवस में पूर्ण की जानी आवश्यक होगी ।
- 181 पांच वर्षों तक संस्था में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशु चिकित्सा संस्था एवं विभाग के कृषि फार्मों को उपयोग में लिया जावेगा । इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो वह संस्था द्वारा वहन किया जावेगा । पांच वर्ष पश्चात् संस्था को अपनी स्वयं की उपरोक्त सुविधायें जुटानी आवश्यक होगी ।
- 191 संस्था को पंचात प्रशिक्षार्थियों छात्रों/छात्राओं की भर्ती करने की अनुमति दी जाती है ।
- 1101 संस्था द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में रही कमियों एवं निरीक्षण दल द्वारा चिन्हित की गई कमियों के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा अध्या संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में उपस्थित होकर, जानकारी प्राप्त कर तात दिवस में पूर्ति करनी होगी ।
- 1111 उपरोक्त संस्थाओं को पंजीयन शुल्क की राशि रुपये 2.00 लाख ।अक्षरे दो लाख । का बैंकर चेक/ड्राफ्ट पत्र प्राप्त की तिथि से 30 दिवस की कालावधि में निदेशक, पशुमालन विभाग, जयपुर के यहाँ जमा करानी होगी ।
- 1121 क्र.सं. 14 से 17 पर अंकित संस्थाएँ आवश्यक अहंताएँ एवं योग्यताएँ पूर्ण नहीं करती हैं । इन्हें आवश्यक अहंता एवं योग्यताएँ पूर्ण करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भ्रमदीय,



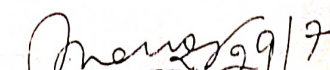
। तत्पश्चात् बतवाल ।

शासन उप तथिय

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

- 1। निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2। सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3। विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, पशुमालन, मत्स्य एवं डेपरी विकास विभाग ।
- 4। निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 5। मंत्रीमंडल सचिवालय/तामान्य पशुमालन विभाग, राज. जयपुर ।
- 6। संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुमालन विभाग, ।
- 7। संबंधित उपरोक्त संस्था -

8। रक्षि पत्रावली ।


। तत्पश्चात् बतवाल ।
शासन उप तथिय